



# उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्,

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक 242 /रा०उ०शि०प०/53/19  
दिनांक: 16 जुलाई, 2020

सेवा में,

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1— निदेशक,   | 2— कुलसचिव,                |
| उच्च शिक्षा, | समस्त राज्य विश्वविद्यालय, |
| प्रयागराज।   | उत्तर प्रदेश।              |

**विषय:-उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019–2020 की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में  
दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 19 जून, 2020 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियों उपलब्ध करायी गयी हैं, जिसके आधार पर एतद्वारा सुझाव संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश स्थित कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ परीक्षायें सम्पन्न करा ली गयी हैं तथा परिणाम भी घोषित किए गए हैं तथा कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आंशिक परीक्षायें ही पूर्ण करायी गयी हैं एवं कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अभी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है। अतः कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए कतिपय मार्गदर्शी गाइडलाइन एवं विकल्प आपको इस अनुरोध सहित प्रेषित की जा रही है कि कृपया विश्वविद्यालय की परिस्थितियां एवं छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अपनी परिनियमावली के दृष्टिगत कार्यपरिषद्/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक् विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें तथा परीक्षा के कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्ययोजना उच्च शिक्षा विभाग एवं परिषद को दिनांक 23 जुलाई, 2020 तक उपलब्ध करायें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीप,

16/7/2020

(डॉ आर.के.चतुर्वेदी)

अपर सचिव।

## कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव :-

यू0जी0सी0 तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं/परिणाम 2020-21 के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिए गए हैं :—

- 1— कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जायेगा।
- 2— कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व सम्पन्न करा ली गयी थीं तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिये गये हैं। वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू रहेंगे, जो पहले से लागू थे।
- 3— कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व सम्पन्न कर ली गयी थीं। उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किये जायेंगे।
- 4— सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन/18 मार्च, 2020 के पूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की है अथवा बैक पेपर के लिये अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष/अगले सेमेस्टर में प्रोन्त कर दिया जायेगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र, जो पूर्व में सम्पादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिये भी अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
- 5— निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019-20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू होगी।
- 6— **अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष की परीक्षा (2019-20) —**

- कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल/दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर, 2020 के अन्त तक ऑफलाइन (पेन और पेपर)/ऑनलाइन/मिश्रित (ऑनलाइन+ऑफलाइन) विधा से अवशेष परीक्षायें सम्पन्न करायी जायें। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितम्बर तक सम्पन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक तथा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किये जायें।
- परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्राविधान—

किन्हीं कारणोवश यदि काई छात्र अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष की विश्वविद्यालय की

परीक्षा में समिलित नहीं हो पाता है तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स/प्रश्नपत्र के विशेष परीक्षा में समिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है जो विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो। उपर्युक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए केवल एक बार लागू होगा।

- **अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु प्रश्नपत्रों का बैकलाग—**

अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष में बैकलाग के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन (फैन और पेपर)/ऑनलाइन/मिश्रित (ऑनलाइन+ऑफलाइन) मोड के आधार पर व्यवहारिकता/ उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षायें सम्पन्न करायी जाय।

#### 7- प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा (2019–20)—

विकल्प 1— प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुसार) शत-प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किये जायें।

अथवा

#### विकल्प 2— (समिति की संस्तुतियों के अनुसार)

i अ— समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जाते हैं, वे छात्र 2020–21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में समिलित होंगे तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत यदि ये सभी विषयों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण पाये जाते हैं, तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी।

ब—समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जाते हैं, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसम्बर, 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके द्वितीय सेमेस्टर, जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी, के अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।

ii- परन्तु यदि 2021 में द्वितीय वर्ष/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में समिलित होने वाला छात्र कुछ विषय/विषयों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होते हुये बैक पेपर/इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अर्ह पाया जाता है, तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किये गये समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जायेगा जिनमें परीक्षा 2020 में सम्पादित नहीं हो सकी।

iii- यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः समिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त । अ के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेष विषय/विषयों/ प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी ।

विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उक्त विकल्पों पर विचार करके यथोचित निर्णय लेंगे ।

8- **इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा (जहां तीन/चार/पांच वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है, उनके प्रथम एवं अंतिम वर्ष को छोड़कर)–**

विकल्प 1– इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार) 50 प्रतिशत विगत परीक्षा परिणामों के आधार पर तथा 50 प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाय ।

#### अथवा

विकल्प 2– समस्त संकायों के द्वितीय वर्ष/चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर-4 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार तृतीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत किये जाते हैं, ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष (2019)/प्रथम-तृतीय (सभी तीन) सेमेस्टर के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक उनके द्वितीय वर्ष (2020)/चतुर्थ सेमेस्टर (2020) के उन अवशेष विषय/विषयों/ प्रश्नपत्र/ प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी । (समिति की संस्तुतियों के अनुसार)

उपर्युक्त विकल्पों पर विचार करते हुये विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

- अन्य समस्त पारम्परिक पाठ्यक्रम, जिनमें पाठ्यक्रम की कुल अवधि तीन वर्ष/छ: सेमेस्टर से अधिक हों, उनमें भी इसी व्यवस्था के आधार पर कियान्वयन विश्वविद्यालयों के स्तर पर किया जायेगा ।

9- प्रथम एवं अंतिम वर्ष सहित सभी वर्षों के ऐसे छात्र जो 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले 2020 की अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2021 में आयोजित होने वाली बैंक पेपर परीक्षा/2021-22 में आयोजित होने वाली वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त/किसी भी विषय में समिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे ।

- 10— उपरोक्त दिशा—निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है अभियंत्रण एवं प्रबन्धन के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
- 11— कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की गयी है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुये अपनी परिनियमावलियों एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद्/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक् विचार कर निर्णय लेकर परीक्षा के कार्यक्रम के साथ अपनी कार्ययोजना शासन को दिनांक 23 जुलाई, 2020 तक प्रेषित करेंगे।
-